कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र
ज्योलीकोट–263127, नैनीताल
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पतनगर, जिला–उद्यमसिहनगर

पत्रांकः के0वी0के0/ज्योली0/ 1597 दिनांक मार्च 09,2022

नीलामी सूचना/शर्ते

कृषि विज्ञान केन्द्र, ज्योलीकोट के परिसर पर पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों की बिक्री खुली बोली के के माध्यम से दिनांक को अपराहन् 3.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र,ज्योलीकोट में की जानी प्रस्तावित है। इच्छुक बोलीदाता अर्नेस्टमनी डिपोजिट कर अपने पहचान पत्र की छायाप्रति कार्यालय में दिनांक 30.03.2022 की दोपहर 12.30 बजे तक जमा कर बोली बोलने हेतु अधिकृत होगा।

1. बोली/नीलामी में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति बोली हेतु पास प्राप्त कर केन्द्र परिसर के पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों का निरीक्षण करे लें तथा बोली हेतु पास लेते समय अपना पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी ((राष्ट्रीय कृत/शैडयूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफट) लगाना अनिवार्य है।

   बोली में इच्छुक व्यक्तियों को पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अन्रेस्टमनी केवल व्यक्तिगत रूप से **दिनांक 30.03.2022 को दोपहर 12.30 बजे तक कार्यालय में जमा की जायेगी तथा बोली पास दिये जायेंगे, उसके पश्चात पास नहीं दिये जायेगें।** केन्द्र परिसर के पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों हेतु रू 5000/–(पॉच हजार मात्र) की अर्नेस्ट मनी जो राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/ सहकारी बैंक की एफ.डी./बेंकर्स चैक के रूप में होगी तथा प्रभारी अधिकारीकृषि विज्ञान केन्द्र,ज्योलीकोट के नाम पर बंधक होगी, लगाना अनिर्वाय होगा। बिना अर्नेस्ट मनी जमा किये किसी भी व्यक्ति को नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा। अर्नेस्ट मनी नकद जमा नही की जायेगी।
2. प्रथम उच्च बोलीदाता एवं द्वितीय बोलीदाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी को छोड़कर शेष की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस राशि मे पहले की गयी अर्नेस्ट मनी समायोजित नही की जायेगी। यदि सम्बन्धित बोलीदाता 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च निविदादाता की निविदा पर विचार किया जा सकता है। नीलामी समिति को अधिकार होगा कि **बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदा को अस्वीकृत कर दें। धनराशि नकद नही ली जायेगी, समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफट के माध्यम से किया जाना होगा।**
4. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना डाक के द्वारा दी जायेगी तथा ठेकेदार को सूचना जारी होने के एक सप्ताहके अन्दर केन्द्र परिसर के पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों के कटान से पूर्व जो भी पहले हो सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।इस राशि में केता द्वारा पूर्व में जमा की गयी अर्नेस्टमनी को समायोजित नही किया जायेगा। यदि केता सम्पूर्ण राशि जमा करने मे असफल रहता है अथ्रपर अवशेष राशि का कोई अंश जमा नही करता है तो शेष अंश राशि 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा अर्नेस्ट मनी को वृक्षों के कटान के पश्चात नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
5. यदि अर्नेस्टमनी के रूपमें सफल बोलीदाता द्वारा डिमान्ड ड्राफट या बैंकर्स चैक जमा कियागया हो तो परिसर के वृक्षों को कब्जा लेने से पूर्व उसे अर्नेस्टमनी के रूप में एफ.डी.आर. जमा करानी होगी तथा डिमान्ड ड्राफट या बैंकर्स चैक उसे वापस कर दिया जायेगा।
6. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि की 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा की जाने वाली राशि नकद नही जायेगी। यह राशि बैंक चैक अथवा बैंक डाफट के रूप में ही ली जायेगी। इसके अतिरिक्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि भी नगद नही ली जायेगी। यह राशि बैंक अथवा बैंक ड्राफट के माध्यम से ही ली जायेगी। अतः चैक से भुगतान हेतु केता का स्वयं का बैंक खाता होना भी अनिर्वाय हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते के माध्यम से यह राशि स्वीकार नही की जायेगी।
7. नीलामी शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को अपने व्यय पर रू 100/– नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालयद्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक अनुब्ध करना होगा।
8. नीलामी के सम्बन्ध में किसी वाद–विवाद में कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
9. केन्द्र परिसर के पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. ठेकेदार के कब्जा लेने के समय परिसर में कार्य पर कार्य पर रखने वाले मजदूरों तथा अन्य व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर कृषि विज्ञान केन्द्र,ज्योलीकोट के कार्यालय में जमा कराना होगा।
11. यह विकी केवल केन्द्र परिसर के पुराने व मिश्रित प्रजाति के वृद्व (34) वृक्षों तक ही सीमित होगी ठेकेदार या उसके कर्मियों द्वारा किसी भी दशा में केन्द्र के आवासीय परिसर के समीप कार्यालय के आसपास तोडफोड करने पर ठेकेदार के विरूद्व प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. ठेकेदार अथवा असके कर्मिको द्वारा केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुचने की दशा में क्षतिपूर्ति का उत्तदायित्व ठेकेदार का होगा।
13. ठेकेदारों द्वारा वृक्ष कटान में विश्वविद्यालय की सम्पत्ति यथा भवन दिवारें, चार दिवारी टैंक रिटेनिंग वाल तथा कृषि या अन्य सम्पत्ति को नुकसार पहुचाये बिना कटान ढुलान अपने स्वयं के खर्चे पर करना होगा विश्वविद्यालय की किसी भी चल–अचल संम्पत्ति को नुकसान होने पर उसका भरण ठेकेदार को करना होगा।
14. **प्रत्येक बोलीदाताओं को बोली हेतु दिनांक 30.03.2022 की दोपहर 12.30 बजे तक कृषि विज्ञान् केन्द्र,ज्योलीकोट, नैनीताल के कार्यालय मे स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा।**

प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र,ज्योलीकोट

प्रतिलिपिः 1. कृषि विज्ञान केन्द्र,ज्योलीकोट के सूचना पट्ट पर।